

कार्यालय, नगर परिषद, मसौढ़ी (पटना)।

Email ID- npmasaurhi@gmail.Com, website: nagarseva.bihar.gov.in/masaurhi

नियोजन सूचना प्रकाशन संख्या-02/2021-22

नगर परिषद, मसौढ़ी में दीनदयाल अन्तयोदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के क्षमतावर्द्धक घटक के तहत सामुदायिक संगठनों के सशक्तिकरण हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार, पटना के मार्गदर्शिका के अनुसार कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर (COs) का नियोजन 11 माह के अनुबंध पर किया जाना है। नियोजन के उपरान्त सेवा संतोषप्रद होने पर अवधि में विस्तार किया जा सकता है। उक्त पद पर कार्य करने के इच्छुक योग्य उम्मीदवार अपना आवेदन नगर परिषद, मसौढ़ी कार्यालय में स्पीड पोस्ट अथवा निबंधित डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय नगर परिषद मसौढ़ी से कार्यदिवस में सम्पर्क किया जा सकता है।

पात्रता की शर्तें:-

1. शैक्षणिक योग्यता किसी भी विषय में कम से कम इंटर (10+2) होगा उम्मीदवारों के पास सामाजिक विकास पर समुदाय के साथ कार्य करने का कम से कम 5 (पाँच) वर्षों का अनुभव होना चाहिए या NULM/जीविका/NRLM या SPUR जैसे कार्यक्रमों में क्षेत्र समन्वयक/C.M.M./सामुदायिक मोबिलाइजर्स/सामुदायिक संगठन/सामुदायिक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने का कम से कम 3 (तीन) वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
2. सामुदायिक संगठन हेतु आवेदनकर्ता का M.S Office (Word, Excel, Power Point) में दक्षता आवश्यक है।
3. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि-28.10.2021 अपराहन 04:00 बजे तक।
4. कार्य क्षेत्र - नगर परिषद, मसौढ़ी क्षेत्रान्तर्गत।
5. कार्य की प्रवृत्ति :- DAY-NULM योजना से संबंधित सभी कार्य एवं नगर परिषद द्वारा दिये जाने वाले कार्य।
6. कार्य की प्रकृति :- FIELD WORK.
7. चयन की प्रक्रिया :- BIO-DATA में अंकित शैक्षणिक योग्यता, कम्प्यूटर योग्यता, अनुभव एवं जाति प्रमाण-पत्र व उपलब्ध कराये गये स्वप्रमाणित प्रति के जाँचोपरान्त तैयार मेधा सूची के आधार पर योग्य अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा हेतु बुलाया जायेगा। लिखित परीक्षा में उर्तीण अभ्यर्थियों को मेधा सूची के आधार पर रिक्तियों के 3 गुणा अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी अपने मूल प्रमाण-पत्र के साथ उपस्थित होंगे। साक्षात्कार में आने-जाने के लिए किसी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा। तदनुसार प्राप्त अंको व आरक्षण रोस्टर के अनुपालन करते हुए मेधा सूची में वरीयता के आधार पर संविदा पर नियुक्ति की जायेगी।
8. विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालय नगर परिषद, मसौढ़ी एवं वेबासईट State.bihar.gov.in/prdbihar.gov.in में सम्पर्क किया जा सकता है।

नोट :- अद्योहस्ताक्षरी को किसी भी समय बिना कारण बताए नियोजन सूचना को रद्द करने अथवा नियोजन के शर्त में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित होगा।



नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, मसौढ़ी पटना।

जन्नी

ज्ञापंक 1215/

दिनांक 04.10.2021

प्रतिलिपि :- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार पटना को नियोजन सूचना प्रकाशन संख्या-02/2021-22 की प्रति राजकीय/राष्ट्रीय स्तर के 2 (दो) समाचार पत्रों में प्रकाशित करने एवं विस्तृत नियोजन सूचना विभागीय वेबसाईट www.state.bihar.gov.in/prdbihar.gov.in पर अपलोड करने की कृपा की जाय एवं अनुरोध है कि यथाशीघ्र नियोजन सूचना को प्रकाशन कराने की कृपा की जाय।



नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, मसौढ़ी पटना।

नवीन